



मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

रजि. आफिस : ब्लांक नं. 2, शक्तिभवन, रामपुर, जबलपुर 482008

क्रमांक मुअ (का.अ.)/III/2875

जबलपुर/दिनांक 22/10/2014

आदेश

पूर्ववर्ती मंडल के आदेश क्र.01-07/डब्ल्यूएसी/2072 दि. 07.04.2006 से सेवाकाल में कार्मिक की मृत्यु होने पर उसके आश्रित परिवार को प्रदान की जाने वाली अनुग्रह राशि की अधिकतम सीमा रूपये 25000/- (पच्चीस हजार मात्र) निर्धारित की गई है। म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि. के आदेश क्र. एस/एमपीपीटीसीएल/2929 दि. 10.10.2012 द्वारा मंडल के आदेशों/परिपत्र को यथा आवश्यक संशोधन सहित ग्राह्य किया गया है।

2. म.प्र.शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्र.एफ.9-11/2013 नियम/चार दिनांक 24.12.2013 के अनुसार अनुग्रह अनुदान राशि की स्वीकृति मृतक शासकीय सेवक के बैंड वेतन में वेतन और ग्रेड-पे के योग के छः गुना के बराबर, अधिकतम रूपये 50,000/- (पचास हजार मात्र) तक की जा सकेगी।

3 कंपनी, म.प्र.शासन, वित्त विभाग के उक्त ज्ञाप को अपने कार्मिकों के लिये यथा आवश्यक संशोधन सहित (mutatis-mutandis) 'शासन' के स्थान पर 'मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड' तथा 'शासकीय सेवक' के स्थान पर 'कंपनी सेवक' प्रतिस्थापित करते हुए यथावत ग्राह्य करती है।

4 अनुग्रह अनुदान भुगतान करने की अन्य सभी शर्तें यथावत प्रभावशील रहेंगी।

5 यह आदेश जारी होने की दिनांक से प्रभावशील होगा।

आदेशानुसार

Wael

मुख्य अभियंता (कंपनी मामले)


जबलपुर/दिनांक 22/10/2014

क्रमांक मुअ (का.अ.)/III/2876

प्रतिलिपि-

1. संचालक (तकनीकी) म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उर्जा विभाग, म.प्र.शासन, वल्लभ भवन भोपाल।
2. सलाहकार, (टी.एण्ड सी.) म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर
3. मुख्य अभियंता (मा.स.वि.सं.)/ (सीआरए-सेल)/ (प्रोक्योरमेंट)/ (योजना एवं रूपांकन)/ (अउदा-संधारण- निरीक्षण)/ (राज्य भार प्रेषण केन्द्र)/ (अउदा-निर्माण)/ (टी.एण्ड सी.) म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर
4. मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
5. मुख्य अभियंता (मानव संसाधन एवं प्रशासन), म.प्र.पावर जनरेटिंग कं.लि. जबलपुर
6. मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन) म.प्र.पावर मैनेजमेंट कं.लि. जबलपुर।
7. मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन) म.प्र.मध्य क्षेत्र वि.वि.कं.लि. भोपाल/पश्चिम क्षेत्र वि. वि.कं. इंदौर/पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. जबलपुर।
8. अतिरिक्त मुख्य अभियंता (सिविल-ट्रांसमिशन,)/ (ट्रांसमिशन-भंडार)/ म.प्र. पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
9. अधीक्षण अभियंता (परीक्षण एवं संचार)/ (अउदा-निर्माण)/ (अउदा-संचारण)/ (400के.व्ही. उपकेन्द्र) वृत्त, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि.,

10. कार्यपालन अभियंता (परीक्षण) / (संचार) / (अउदा-निर्माण) / (अउदा-संचारण /
(ट्रांस-भंडार) / (400के.व्ही. परीक्षण) / (सीहोर वर्कशाप) संभाग, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि.,
11. स्टाफ आफीसर संबद्ध प्रबंध निदेशक, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
12. कंपनी सचिव / कल्याण अधिकारी, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
13. क्षेत्रीय लेखाधिकारी, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर / भोपाल / इन्दौर /
14. आदेश फाइल।
15. वेब मास्टर-कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


हिमांशु श्रीवास्तव
कार्यपालन अभियंता
कार्यालय मुख्य अभियंता (कार्पो.अफे.)